वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन

2012-13

मात्स्यिकी निदेशालय

विषय

1.	पुर्वावलोकन	3
2.	विभाग का संरचनात्मक ढाँचा	4-6
3.	12वीं पंचवर्षीय योजना एवं वार्षिक योजना 2012-13 के लक्ष्य एवं प्राप्तियाँ	7
4.	विभागीय उद्देश्य	8
5.	वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण उपलब्धियां	9-11
6.	वार्षिक योजना 2012-13	12
7.	प्रशासन एवं निर्देशन	13
8.	प्रमुख विभागीय योजनाएँ	14-25
9.	विभाग द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाएँ	26-29
10.	प्रशासनिक एवं आर्थिक सुधार	30
11.	12वीं पंचवर्षीय योजना 2007-12 तथा वार्षिक योजना 2013-14 के वित्तीय प्रावधान एवं निर्धारित लक्ष्य	31-32
12.	सूचना का अधिकार अधिनियम,2005	33-53
13.	सेवा निवृत अधिकारी / कर्मचारी	54

1
पुर्वावलोकन

हिमाचल प्रदेश में मात्स्यिकी विभाग की स्थापना वर्ष 1966 में एक स्वतन्त्र विभाग के रूप में हुई इससे पूर्व वन विभाग का एक अंग प्रदेश में इस कार्य की देख–रेख कर रहा था। इसके फलस्वरूप प्रदेश में उपलब्ध जल संसाधनों का वैज्ञानिक ढंग से विकास व दोहन करने हेतू विभाग स्वतन्त्र रूप से प्रदेशवासियों के उत्थान के लिए प्रयासरत हुआ तथा प्रदेश में निम्नलिखत जल संसाधनों का वैज्ञानिक ढंग से विकास किया गया।

शीत जल– ट्राऊट जल– 600 कि0मी0

सामान्य जल– 2400 कि0मी0

जलाशय जल स्त्रोत– 42000हैक्टेयर

तालाबों एवं छोटे चश्मों के रूप में सामान्य जलक्षेत्र– 500हैक्टेयर

ठण्डे क्षेत्रों की प्राकृतिक झीलें – 617 हैक्टेयर

2
विभाग का संरचनात्मक ढाँचा

हिमाचल प्रदेश मात्स्यिकी विभाग में निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य के अतिरिक्त 2 उप–निदेशक मत्स्य, 8 सहायक निदेशक मत्स्य, 6 वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी व 20 मत्स्य अधिकारी अपने सहयोगी कर्मचारियों के साथ कार्य निष्पादन कर रहे हैं । वर्ष 2012–13 के दौरान **श्री पी.सी.कपूर प्रधान सचिव, श्री वी.सी. फारका प्रधान सचिव, श्री पी.मित्रा अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा श्रीमति भारती सिहाग, प्रधान सचिव** (मत्स्य) के रूप में विभाग के मार्गदर्शक तथा **श्री गुरचरण सिंह, निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य** रहे । निदेशालय स्तर पर श्री पी0सी0पटियाल (सहायक निदेशक मत्स्य–मु0), श्री सुशील जनारथा (सहायक निदेशक मत्स्य–20सूत्रीय कार्यक्रम), समस्त तैनात कर्मचारी वर्ग के साथ तथा क्षेत्रीय स्तर पर कुल्लू में उप निदेशक मत्स्य, पतलीकूहल व अन्य जिलों में सहायक निदेशक मत्स्य विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी रहे । केवल जिला हमीरपुर व सिरमौर में यह कार्य वरिष्ठ मत्स्य अधिकारियों द्वारा सम्बन्धित सहायक निदेशक मत्स्य की देखरेख में, जिला किन्नौर में मत्स्य अधिकारी, सांगला द्वारा तथा जिला लाहौल व स्पिति में विभाग का कोई अधिकारी तैनात न होने के कारण यह कार्य लाहौल में वन मण्डल अधिकारी द्वारा तथा पांगी एवं स्पिति में सहायक निदेशक पशु पालन विभाग द्वारा क्रियान्वित किया गया ।

वर्ष 2012–13में उपलब्ध विभागीय संरचना

निदेशक एवम् प्रारक्षी, मत्स्य	**श्री गुरचरण सिंह**
उप–निदेशक मत्स्य, कुल्लु	**श्री सतपाल मैहता**
वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, ट्राउट फार्म पतलीकुहल	श्री खेम सिंह
मत्स्य अधिकारी, हामीनी	श्री विवेक शर्मा
मत्स्य अधिकारी, बटाहड़ (हैचरी)	श्री दुनी चन्द
मत्स्य अधिकारी, ट्राउट फार्म पतलीकुहल	श्री राजेन्द्र पाल
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (मत्स्य कृषक विकास अभिकरण) कांगड़ा स्थित पालमपुर	**श्री हमीर चन्द**
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (मत्स्य कृषक विकास अभिकरण) सोलन	**श्री सुनील मैहता**
कनिष्ठ अभियन्ता मुख्यालय बिलासपुर	श्री सन्दीप शर्मा
अधिक्षक ग्रेड –1 मुख्यालय बिलासपुर	**श्री जगजीत सिंह**
अनुभाग अधिकारी वित्तीय एवम् लेखा मुख्यालय बिलासपुर	**श्री अजय कुमार**
सहायक निदेशक मत्स्य (20 सुत्रीय कार्यक्रम) मुख्यालय बिलासपुर	**श्री सुशील जनारथा**
सहायक निदेशक मत्स्य बिलासपुर	**श्री तपेश चौहान**
मत्स्य अधिकारी (मत्स्य अवतरण केन्द्र)लठियाणी	श्री सुरिन्द्र पटियाल
मत्स्य अधिकारी (कार्प फार्म) देवली	श्रीमति नितू सिंह
मत्स्य अधिकारी (मत्स्य अवतरण केन्द्र) ज़कातखाना	श्री जगत पाल शर्मा
मत्स्य अधिकारी (मत्स्य अवतरण केन्द्र)भाखड़ा	श्री सन्दीप कुमार
उप–निरीक्षक मत्स्य (मत्स्य अवतरण केन्द्र) मान्दली	श्री प्रदीप कुमार
मत्स्य अधिकारी (मत्स्य अवतरण केन्द्र)बिलासपुर	श्रीमति चंचल ठाकुर
मत्स्य अधिकारी (सरक्षंण) बिलासपुर	श्री श्याम लाल शर्मा
सहायक निदेशक मत्स्य पालमपुर	**श्री हमीर चन्द**
वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी हमीरपुर	श्री लवल कुमार
मत्स्य अधिकारी (मत्स्य कार्प फार्म) कागंडा	श्री अरुण कान्त
मत्स्य अधिकारी (मत्स्य अवतरण केन्द्र) हरसर	श्री प्रकाश चन्द

वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी पालमपुर	श्री राज कुमार
सहायक निदेशक मत्स्य सोलन	**श्री सुनील मैहता**
मत्स्य अधिकारी (कार्प फार्म) नालागढ़)	श्री राम सिंह
सहायक निदेशक मत्स्य उना	**श्री वी० के० पुरी**
सहायक निदेशक मत्स्य मन्डी	**श्री अशोक वर्मा**
मत्स्य अधिकारी (महाशीर फार्म) मच्छयाल	श्री पकंज ठाकुर
मत्स्य अधिकारी (ट्राउट फार्म) बरोट	कुमारी रिचा गुप्ता
वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी मन्डी स्थित अल्सू	श्री पवन कुमार
सहायक निदेशक मत्स्य चम्बा	**श्री महेश कुमार**
वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी चम्बा	श्री भुपेन्द्र कुमार
मत्स्य अधिकारी सान्धरा	श्री हितेश
सहायक निदेशक मत्स्य शिमला	**श्री राजन सूद**
मत्स्य अधिकारी (ट्राउट फार्म) घमवाडी	श्री विजय सरोच
मत्स्य अधिकारी (ट्राउट फार्म) सांगला	श्री जे० एल० नेगी
सहायक निदेशक मत्स्य पौंग डैम	**श्री महेश कुमार**
मत्स्य अधिकारी (मत्स्य अवतरण केन्द्र) देहरा	श्री वी० के० डोगरा
मत्स्य अधिकारी (मत्स्य अवतरण केन्द्र) धमेटा	श्री ए० कुलदीप
उप निरिक्षक मत्स्य (मत्स्य अवतरण केन्द्र) हरिपुर	श्री दिलवर सिंह
वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी (मत्स्य अवतरण केन्द्र) बरनाली	श्री केवल सिंह कुट्लैहड़ीया
मत्स्य अधिकारी (मत्स्य अवतरण केन्द्र) नगरोटा सुरियां	श्री सोम नाथ
मत्स्य अधिकारी (मत्स्य अवतरण केन्द्र) खटियाड	श्री राकेश कुमार
उप निरीक्षक मत्स्य (मत्स्य अवतरण केन्द्र) डाडासिबा	श्री मनजीत सिंह
वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी नाहन	**श्री योगेश गुप्ता**

3

12 वीं पंचवर्षीय योजना एवं वार्षिक योजना 2012–13 के लक्ष्य एवं प्राप्तियाँ

क्र0सं0	मद	12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य (2007–12)	वर्षिक योजना 2012–13 के लिए निर्धारित लक्ष्य	वर्षिक योजना 2012–13 की प्राप्तियाँ
1	मत्स्य उत्पादन (मीट्रिक टन)	37605.00	7550.00	8560.89
2	कार्प बीज उत्पादन (लाख)	1220.00	220.00	220.19
3	ट्राऊट ओवा उत्पादन (लाख)	59.00	10.00	12.81

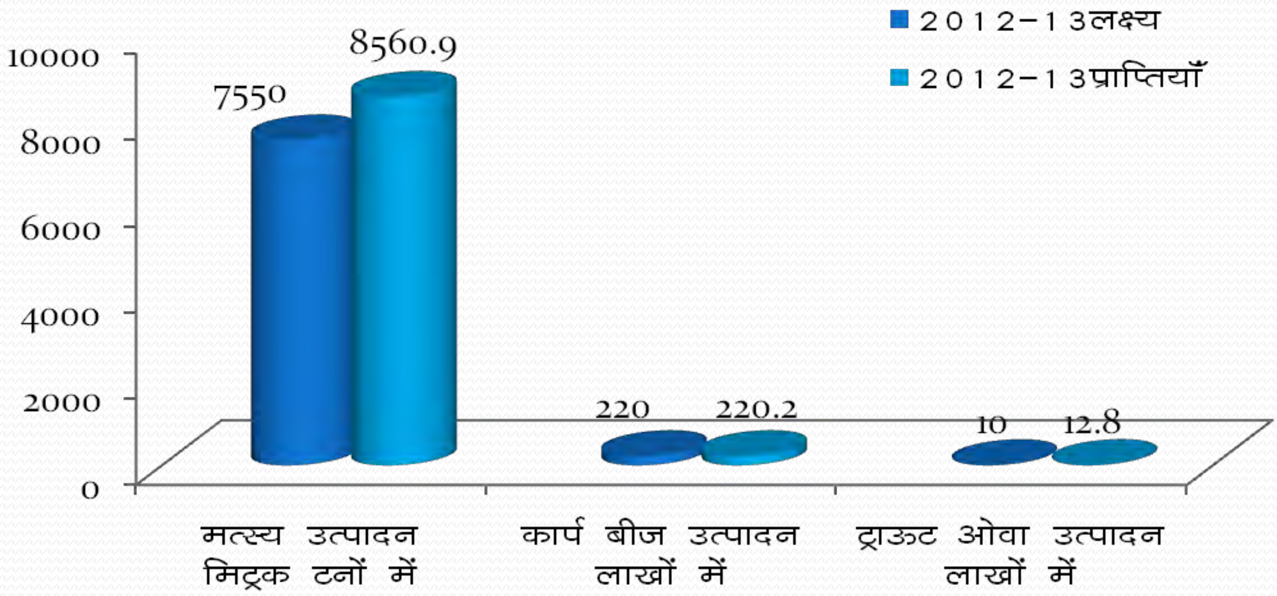

4
विभागीय उद्देश्य

विभाग निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयासरत है।

- प्रदेश में मछली पालन योग्य जलों के उचित प्रबन्ध से मत्स्य उत्पादन में बढ़ोतरी ।
- खुले जल में प्रति हैक्टेयर मत्स्य उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से जलाशयों में मत्स्य पालन को विकसित करना ।
- जलाशय तथा नदी नालों में मछली बीज संग्रहण कार्यक्रम में वृद्धि के उद्देश्य से भारतीय तथा विदेशी मछलियों जैसे महाशीर, ट्राऊट व अन्य समशीतोषण प्रजातियों का बीज उत्पादन करना ।
- राज्य में क्रीड़ा मत्स्य को बढ़ावा देने, विशेषतयः ट्राऊट का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन करना है ।
- राज्य में मत्स्य पालन के विस्तार हेतू मछुआरों एवं ग्रामीण युवकों को तकनीकी प्रशिक्षण तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना ।
- मत्स्य क्षेत्र में रोज़गार के सुअवसर प्रदान करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की दशा सुधारने में योगदान करना ।
- निजी क्षेत्र में मत्स्य बीज उत्पादन एवं मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देना ।
- मत्स्य सहकारी सभाओं के सदस्य मछुआरों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का सुचारू क्रियान्वयन ।
- मत्स्य उत्पादन में बढ़ौतरी हेतू नवीनतम उपयुक्त प्रजातियों के सम्वर्धन को बढ़ावा देना ।

5
वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण उपलब्धियां

- इस वर्ष राज्य में विद्यमान सभी जल स्त्रोतों से मु0 5818.13 लाख रूपये कीमत की 8560.89 टन मछली का उत्पादन किया गया ।

- विभागीय ट्राऊट फार्मों से इस वर्ष 42.16 लाख कीमत की 19.18 मीट्रिक टन खाने योग्य ट्राऊट का उत्पादन किया गया है, जिससे विभाग को विभागीय ट्राऊट फार्मो से 98.48 लाख रूपये राजस्व प्राप्त हुआ है । इस वर्ष निजि क्षेत्र में भी मु0 409.77 लाख रूपये कीमत की 186.26 मीट्रिक टन ट्राऊट मछली का उत्पादन किया गया है। प्रदेश में रेनबो ट्राऊट के सफलतापूर्वक प्रजनन के परिणामस्वरूप न केवल कुल्लू जिला अपितु शिमला, मण्डी, काँगड़ा व चम्बा जिला में भी निजी क्षेत्र में ट्राऊट इकाईयों की स्थापना की गई है।

- राज्य में कार्प मछली उत्पादन को बढ़ावा देने की दृष्टि से अमूर कामन कार्प मछली के बीज का आयात किया गया था जिसका इस वर्ष भी सफलतापूर्वक प्रजनन करवा लिया गया है । प्रदेश के निचले क्षेत्रों में कार्प उत्पादन को इससे बहुत बढ़ावा मिलेगा।

- इस वर्ष विभाग द्वारा सभी संसाधनों से 193.76 लाख रूपये का राजस्व अर्जित किया है जोकि निर्धारित लक्ष्य से 50.17 लाख रूपये अधिक है ।

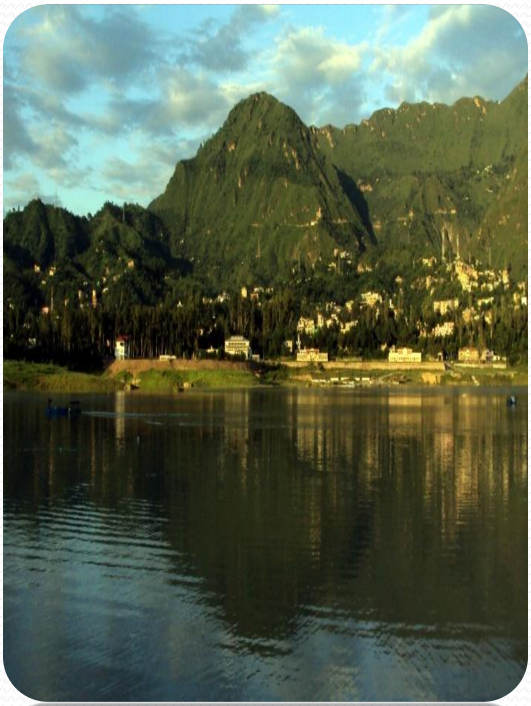

- राज्य के प्रमुख जलाश्यों में इस वर्ष कुल 4549 (गोविन्दसागर 2105, पौंग डेम 2303, चमेरा 118 व रणजीत सागर 23) माहीगीरों को पूर्णकालीन स्वरोजगार उपलब्ध करवाया गया । इन माहीगीरों द्वारा 10.83 करोड़ रूपये मूल्य की 1575.10 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन किया गया है, जिससे मछुआरों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हुई है ।

- विभागीय कार्प फार्मों से वर्ष 2012–13 में 220.188 लाख मत्स्य बीज का उत्पादन किया गया है ।

- राज्य में मत्स्य आखेट की गतिविधियों में कार्यरत 8345 माहीगीरों को निशुल्क जीवन सुरक्षा निधि के अन्तर्गत लाया गया है जिसके अन्तर्गत उनके आश्रितों को मत्स्य आखेट के दौरान मृत्यु होने की दशा में 1,00,000/–रू0 तथा अपंगता की दशा में 50,000/–रूपये प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया है ।

- इस वर्ष 3982 सक्रिय जलाशय माहीगीरों को बन्द आखेट मत्स्य सीजन के दौरान मु0 35.28 लाख रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई ।

- जलाशयों में कार्यरत माहीगीरों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण मत्स्य आखेट उपकरणों को होने वाले नुक्सान की भरपाई हेतु सभी मछुआरों को जोखिम निधि योजना के अन्तर्गत लाया गया है । इस वर्ष इस योजना के अन्तर्गत 2253 माहिगिरों ने 20/–रू0 की दर से इस कोष में कुल 90,120/–रू0 एकत्रित किए।

- मत्स्य पालन को राज्य में बढ़ावा देने तथा स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत 527 नए रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं।

- मत्स्य कृषक विकास अभिकरण के अन्तर्गत 10.40 हैक्टेयर के नए क्षेत्रों को जलचर पालन के अन्तर्गत लाया गया है और 18.78 हैक्टेयर पुराने तालाबों का सुधार किया गया ।

6

वार्षिक योजना 2012-13

हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने के उपरान्त निरन्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर होता हुआ आज देश के पहाड़ी राज्यों में एक आदर्श राज्य के रूप में उभर रहा है । प्रदेश में हरित क्रान्ति, श्वेत क्रान्ति आने के बाद अब प्रदेश नील क्रान्ति की ओर अग्रसर हो रहा है । अतः इसे व्यवहारिक रूप देने के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) में 2633 लाख रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है तथा वार्षिक योजना 2012-2013 में 1364.80 लाख रूपये के संशोधित उद्व्यय से निम्नांकित योजना स्कीमें क्रियान्वित की गई हैं।

क्र0 सं0	योजना का नाम
1.	निदेशन एवं प्रशासन
2.	जलाश्य संरक्षण
3.	कार्प बीज उत्पादन
4.	ट्राऊट बीज उत्पादन
5.	कार्प बीज फार्मों का विस्तार
6.	ताजा जलचर पालन कार्यक्रम को बढावा देना
7.	सामुदायिक तालाबों का निर्माण
8.	जनजातिय उप योजना
9.	मात्स्यिकी में आंकड़ो के आधार को सुदृढ़ करना तथा सूचना प्रोद्यौगिकी को बढ़ावा देना 1

7
प्रशासन एवं निर्देशन

प्रदेश में नियोजित विकास की प्रक्रिया प्रारम्भ होने के समय से मछली पालन विभाग के प्रमुख कार्य नदीय स्त्रोतों में परिग्रहण मात्स्यिकी को बढ़ावा देना था परन्तु राज्य में विद्युत परियोजनाओं के स्थापित होने के कारण मत्स्य उत्पादन के नए स्त्रोत, जलाशयों के तौर पर उत्पन्न हुए हैं जिनसे प्रदेश के कुल मत्स्य उत्पादन का 18% मत्स्य उत्पादन हो रहा है । प्रदेश के निचले तथा ऊपरी क्षेत्रों में पन बिजली योजनाओं में प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है । प्रदेश के उपलब्ध संसाधनों का तेज गति से उपयुक्त विकास करने हेतु चलाई जा रही योजनाओं का कार्यान्वयन करने के लिए विभाग के प्रशासनिक ढाँचे को मजबूत किए जाने का प्रस्ताव है । प्रदेश के मात्स्यिकी संसाधनों पर दोहन का दवाब यद्यपि दिनों–दिन बढता जा रहा है, परन्तु इनमें मत्स्य विकास व संरक्षण पर नियुक्त कर्मचारी बल की संख्या दिन प्रति दिन घट रही है । इस वर्ष कुल स्वीकृत पदों में लगभग 80 पद खाली चल रहे हैं ।

क्र0 सं0	योजना का नाम	वर्ष 2012–13 के बजट प्रस्ताव	वर्ष 2012–13 में व्यय
1.	निदेशन एवं प्रशासन	14.63 लाख	16.62 लाख

8
प्रमुख विभागीय योजनाएं

(क) अन्तर्देशीय जलाश्यों में मात्स्यिकी का प्रबन्ध एवं विकास :

(1) जलाशय संरक्षणः

प्रदेश के जलाश्यों का प्रदेश के मत्स्य उत्पादन में प्रमुख स्थान है । कुल मत्स्य उत्पादन का लगभग 18% भाग जलाशयों से प्राप्त हो रहा है । इसी तरह यह संसाधन बाँध विस्थापितों की आर्थिक दशा को सुदृढ़ करने में भी सहायक सिद्ध हो रहे हैं । इन जलाश्यों में मत्स्य उत्पादन की बढ़ौतरी के लिए 25-40 मिली मीटर आकार का बीज संग्रहित किया जा रहा है । जिसके बहुत उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं व इस वर्ष जलाशयों से मत्स्य उत्पादन वृद्धि में गतिशीलता पाई गई।

क्रमाँक	योजना का नाम	वर्ष 2012-13 के बजट प्रस्ताव	वर्ष 2012-13 में व्यय
1.	जलाश्य संरक्षण	2.00 लाख	2.00 लाख

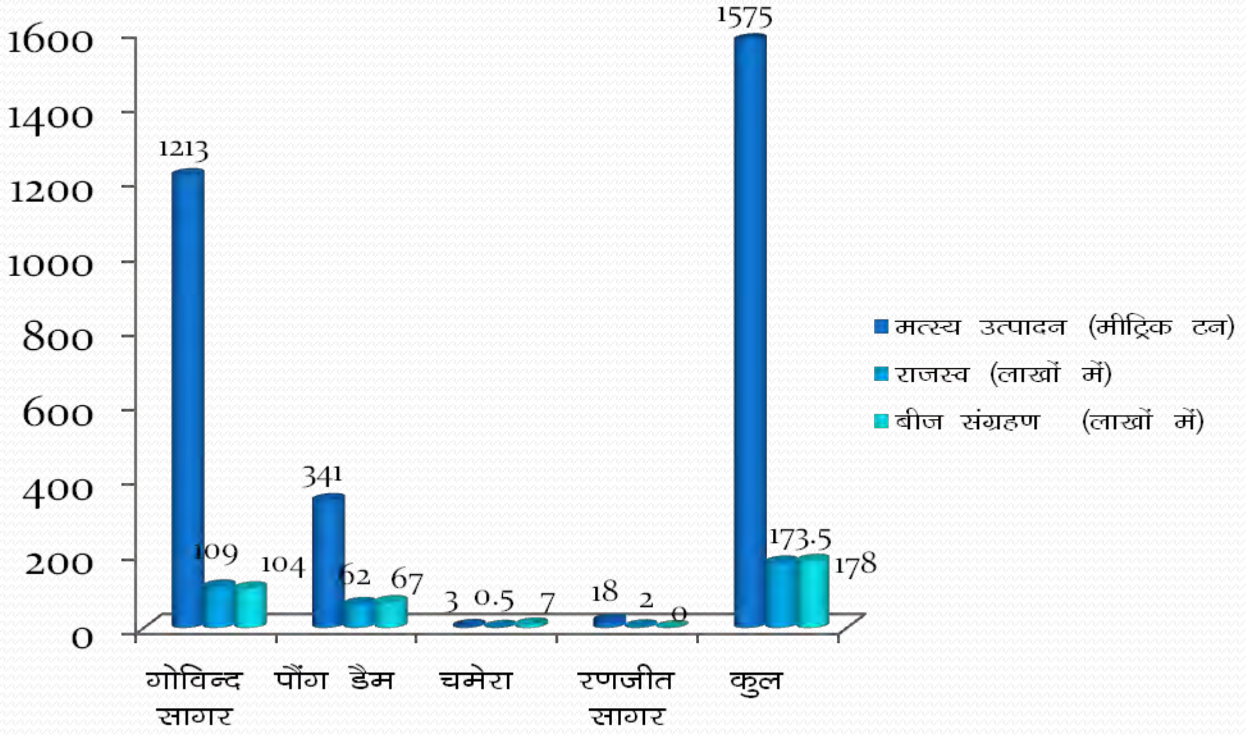

(2) कार्प बीज उत्पादनः–

राज्य में पहले ही छः कार्प बीज फार्म, देवली (बिलासपुर), अलसू (मण्डी), नालागढ़ (सोलन), दयोली (ऊना), कांगड़ा (कांगड़ा) तथा सुल्तानपुर (चम्बा) में स्थापित किये गये हैं । मत्स्य बीज की बढ़ती मांग तथा राज्य में बहुतायत से पनबिजली परियोजनाओं के तैयार हो जाने को ध्यान में रखते हुए उत्तम किस्म की मछली के बीज की आवश्यकता अत्याधिक बढ़ गई है । इस प्रयोजन से सभी फार्मो पर प्रबन्धन की दृष्टि से आवश्यक फेरबदल किया जाना वांछित था । उक्त के दृष्टिगत इन फार्मो से वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मछलियों के बीज उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए कार्प बीज केन्द्र देवली (बिलासपुर), को हिमाचल प्रदेश मत्स्यकि सम्बर्न्धन, दोहन और विपणन समिति के अर्न्तगत स्थानान्तरित कर दिया गया है । मछली तथा मछली बीज उत्पादन के लिए मछली बीज केन्द्र नालागढ़ (सोलन) व दयोली (ऊना) को निजि उद्यमियों से माह नवम्बर,2011 में वापिस लिया गया। राज्य में **'कामन कार्प'** मछली के उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से **'अमूर कार्प'** मछली प्रजाति को हिमाचल के मत्स्य फार्म अल्सू (मण्डी) में सफलतापूर्वक प्रजनन करवा लिया गया है ताकि इसके उत्पादन से मत्स्य पालकों को अधिक लाभ प्राप्त हो सके। प्रदेश में मत्स्य क्रीड़ा को रूचिकर बनाये रखने से पर्यटन विकास में वृद्धि की जानी संभव है । इसलिए प्रदेश के नदीय स्त्रोंतों में मत्स्य बीज संग्रहित करना अतिआवश्यक हैं । महाशीर मछली प्रदेश के जलों की मूल मछली है । अतः प्रदेश के जलों को महाशीर मछली से भरपूर रखने के लिए इन जलों में फार्म से उत्पादित अर्न्तराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महाशीर मछली के क्षुद्रमीनों को संग्रहित किया जाना आवश्यक है । इस वर्ष विभागीय कार्प बीज फार्मो से मार्च 2013 तक 220.18 लाख क्षुद्रमीनों का उत्पादन किया गया है जिसमें से 8.36 लाख क्षुद्रमीन राज्य के जलाश्यों में संग्रहित किए गए ।

कमांक	योजना का नाम	वर्ष 2012–13 के लिए बजट प्रावधान	वर्ष 2012–13 में व्यय
1.	कार्प बीज उत्पादन	99.88 लाख	99.86 लाख

इस योजना में देवली, (बिलासपुर), अलसू (मंण्डी), सुल्तानपुर (चम्बा) व कांगड़ा (कांगड़ा) फार्मों पर पहले से प्रारम्भ किये गये विभिन्न विस्तारीकरण कार्य इस वर्ष भी चालू रहे । कार्प फार्मों पर उत्पादित क्षुद्रमीनों का विवरण इस प्रकार है :–

मत्स्य बीज उत्पादन (लाखों में)

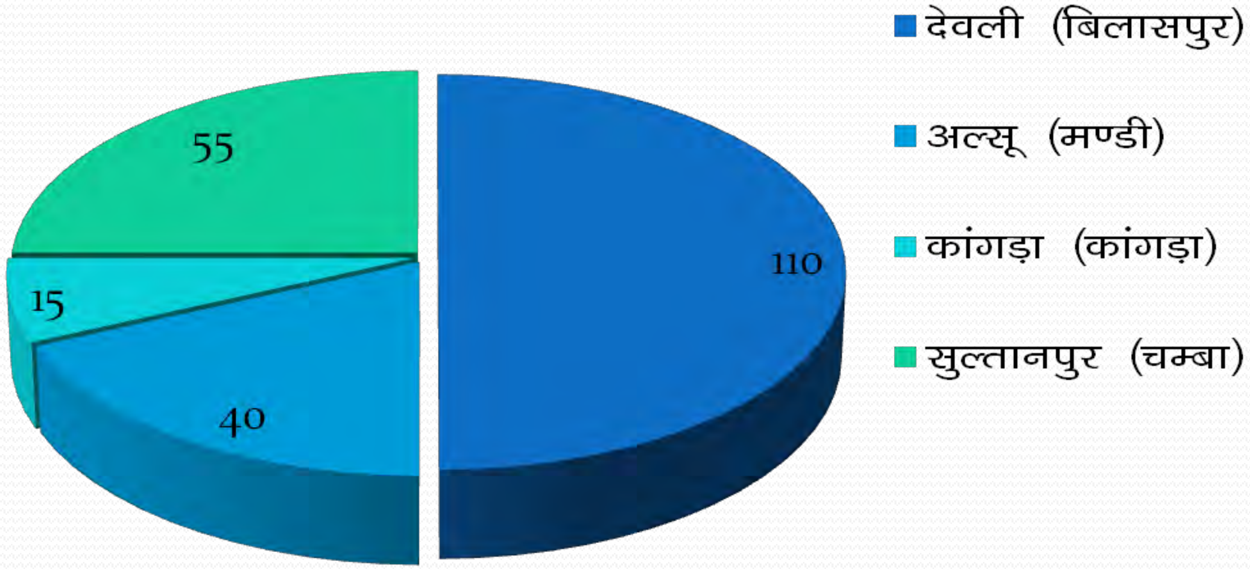

(ख) क्रीड़ा मात्स्यिकी का प्रबन्ध एवं विकासः

विभाग द्वारा चरणबद्ध तरीके से पुराने फार्मो के नवीनीकरण विस्तार एवं नए ट्राऊट फार्मों का निर्माण कार्य शुरू किया गया है जिसके अन्तर्गत विद्युत परियोजनाओं से पड़ने वाले प्रभावों को कम करने के लिए ट्राऊट बीज का अधिक मात्रा में नदियों में संग्रहण किया जाना आवश्यक हो गया है । प्रदेश में कार्यरत ट्राऊट मत्स्य कृषकों की मांग को भी इन फार्मों से पूरा किया जा रहा है । इसलिए विभागीय ट्राऊट फार्मों बरोट, सांगला, होली तथा धमवाड़ी के आधुनिकीकरण का कार्य आगे भी जारी रखने का प्रस्ताव है । विभाग का मुख्य उद्देश्य इन फार्मों को इन्डो–नौरवेजियन ट्राऊट फार्म पतलीकूहल के स्तर तक पहुँचाना है । इन फार्मों से उचित गुणवत्ता के बीज उत्पादन पर विभाग का विशेष ध्यान है ताकि निजी क्षेत्र में ट्राऊट पालन को बढ़ावा दिया जा सके । इस वर्ष 12.81 लाख ट्राउट बीज का उत्पादन सरकारी क्षेत्र के बीज फार्मों से हुआ है ।

क्रमांक	योजना का नाम	वर्ष 2012–13 के बजट प्रस्ताव	वर्ष 2012–13 में व्यय
1.	ट्राऊट बीज उत्पादन	98.42 लाख	68.41 लाख

(ग) वाणिज्यिक ट्राऊट उत्पादनः–

राज्य के ऊपरी क्षेत्रों के ठंडे क्षेत्रों में जल संसाधनों के दोहन तथा मत्स्य कृषि को बढ़ावा देने के लिए विदेशी सहायता से राज्य में ट्राऊट कृषि परियोजना की शुरूआत वर्ष 1989 में की गई थी जो कि वर्ष 1998 में पूर्ण हो गई है। जिसके मुख्य उद्देश्य आधुनिक ट्राऊट फार्म, हैचरी, रेनबो ट्राऊट, ओवा का उत्पादन एवं विकास, स्थानीय तौर पर मिलने वाले घटकों से कृत्रिम आहार का उत्पादन तथा परियोजना अधिकारियों/ कर्मचारियों को प्रशिक्षण योजना में से सभी को पूर्ण कर लिया गया है । प्राकृतिक आपदाओं को पार करते हुए रेनबोट्राऊट बीज व आहार के उत्पादन तकनीक को विकसित कर लिया है जोकि कुछ ही राज्यों के पास उपलब्ध है । इस तकनीक को मत्स्य कृषकों तक पहुँचाने में भी विभाग द्धारा कार्य किया गया है । जिसके कारण प्रदेश में ट्राऊट मत्स्य कृषकों की संख्या दिन प्रति दिन बढ़ रही है तथा हिमाचल प्रदेश निजि क्षेत्र में ट्राऊट पालन आरम्भ कराने वाला देश का पहला राज्य बना है । वर्ष 2012–13 में विभाग का मुख्य उद्देश्य मत्स्य बीज व आहार उत्पादन बढ़ाने तथा निजि क्षेत्र में अधिक से अधिक ट्राऊट मत्स्य कृषकों को जोड़ना रहा है ।

वर्ष 2012–13 में निजि ट्राऊट मत्स्य पालकों के फार्मों से 186.26 मीट्रिक टन ट्राऊट, जिसका मूल्य 409.77 लाख रू0 है, का उत्पादन किया गया है । विभागीय फार्मों से भी रू0 98.48 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ है जोकि आज तक का सर्वाधिक राजस्व है ।

क्रम	ट्राऊट फार्म का नाम	मत्स्य उत्पादन (टनों में)	राजस्व प्राप्ति (लाखों में)
1.	पतलीकुहल (कुल्लू)	16.47	86.33
2.	बरोट (मण्डी)	2.45	8.23
3.	सांगला (किन्नौर)	0.20	1.74
4.	धमवाड़ी (शिमला)	0.01	0.39
5.	होली (चम्बा)	0.04	1.79
	कुलः–	19.18	98.48

(घ) कार्प बीज फार्मों का विकास एवं रख–रखावः

यह तथ्य सर्वमान्य है कि हिमाचल प्रदेश की नदियों में सुनहरी महाशीर मछली क्रीड़ा मात्स्यिकी के लिए प्रसिद्ध है । कुछ प्राकृतिक कारणों एवं बीज उत्पादन प्रणाली के विकसित न होने के कारण प्रदेश के जलों में इस प्रजाति की गुणात्मक और मात्रात्मक कमी हो रही है । प्रदेश के जलों में इस मछली की पुर्नस्थापना करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रदेश के उपयुक्त जलों में इस प्रजाति के फार्म पर उत्पादित अंगुलिकाओं का उचित मात्रा में संग्रहण किया जाए । इस उद्धेश्य की पूर्ति के लिए जिला मण्डी के मच्छियाल नामक स्थान पर केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अर्न्तगत 505 लाख रूपये की लागत से एक महाशीर मछली बीज फार्म की स्थापना हेतु निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

क0स0	योजना का नाम	बजट प्रस्ताव 2012–13	वर्ष 2012–13 में व्यय
1.	कार्प बीज फार्मों का विस्तार	2.68 लाख	2.67 लाख

(ङ) ताजा जलचर पालन कार्यक्रम को बढ़ावा देना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना)

मत्स्य पालन कार्यक्रम को बढ़ावा देना विभाग की प्रमुख प्राथमिकता है ताकि प्रदेश में मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के साथ–साथ स्वरोजगार के अवसर भी बढ़ाये जा सकें । इसी दृष्टि से केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत मत्स्य कृषक विकास अभिकरणों की स्थापना की गई है । जिसकी सहायता से प्रदेश के जल संसाधनों के दोहन के लिए आम जनता को प्रोत्साहित किया जा रहा है । इस योजना के अन्तर्गत चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का विवरण निम्न प्रकार से हैं ।

मत्स्य कृषक विकास अभिकरण के अन्तर्गत चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाएंः

1. नए मछली तालाब निर्माण हेतू, जिनमें स्थायी जलापूर्ति व्यवस्था का प्रावधान हो, रूपये 4 लाख प्रति हैक्टेयर की दर से तालाब निर्माण के खर्चे पर सामान्य जाति के लोगों को निर्माण के 20 प्रतिशत अनुदान के रूप में किसानों को दिया जाता है । जिसकी अधिकतम सीमा 80 हजार रूपये प्रति हैक्टेयर है । अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मत्स्य पालकों के लिए अनुदान की दर 25 प्रतिशत है तथा अनुदान की अधिकतम सीमा एक लाख रूपये प्रति हैक्टेयर है । इस वर्ष नए तालाबों के अन्तर्गत 6.95 हैक्टेयर भूमि लाई गई है ।

क्रमांक	योजना का नाम	वर्ष 2012–13 के लिए स्वीकृत बजट	वर्ष 2012–13 में व्यय
1.	ताजा जलचर पालन कार्यक्रम को बढ़ावा देना	20 लाख	20 लाख

- पुराने जल क्षेत्रों (तालाबों) की मुरम्मत के लिए सामान्य जाति के लोगों को मु015,000 रू0 प्रति है0 की दर से अनुदान सहायता प्रदान की जाती है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के मत्स्यपालकों के लिए यह राशि 18,750 रूपये प्रति है0 है । इस वर्ष पुराने तालाबों के अन्तर्गत 18.78 हैक्टेयर जल क्षेत्रों की मुरम्मत की गई ।

- मत्स्य पालन अपनाने पर प्रथम वर्ष में मछली बीज, खाद, खुराक इत्यादि पर दिये जाने वाले व्यय में सामान्य जाति के लोगों को 20 प्रतिशत से या मु.10,000 रू0 प्रति है0, जो कम हो, अनुदान दिया जाता है । अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के मत्स्य पालकों के लिए यह राशि 12,500 रू0 प्रति है0 है । इस वर्ष प्रथम वर्षीय अनुदान के रूप में मु0 0.604 लाख रूपये वितरित किए गए।

- मछली आहार के लिए आहार संयत्र स्थापित करने की अनुमानित निर्माण राशि 7.5 लाख रू0 जोकि भवन, मशीनरी व कलपुर्जों का खर्चा है, जिसमें 20 प्रतिशत की दर से कुल अनुदान 1.5 लाख रू0 दिया जाता है ।

- ताजे पानी की मछली बीज उत्पादन के लिए 10 मिलियन इकाई की क्षमता वाली हैचरी के लिए अनुमानित लागत राशि 16 लाख रू0 की 10 प्रतिशत की दर से 1.60 लाख रू0 अनुदान की सुविधा प्राप्त है ।

- सजावटी मछली पालकों के लिए हैचरी सहित समेकित यूनिटों के लिए 1.50 लाख रू0 की अधिकतम सीमा के साथ 10 प्रतिशत की दर से अनुदान सहायता प्रदान की जाती है ।

(च) अनुसूचित जाति उप योजनाः

मत्स्य पालन विभाग सभी ग्रामीणों विशेषकर अनुसूचित जाति से सम्बन्धित जन समुदाए के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने, उनका आर्थिक व सामाजिक पुनरूत्थान करने में विशेष योगदान प्रदान करता है । व्यवसायिक मत्स्य पालन समाज के सभी कमजोर वर्गों की मूल आवश्यकता, उत्पादन तथा रोजगार उपलब्ध करवाने में सक्षम है । इस को मध्यनजर रखते हुए 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) में 200 लाख रूपये का बजट प्रावधान किया गया है तथा वार्षिक योजना 2012–13 में 53.55 लाख रूपये के संशोधित उदव्यय से निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं ।

(1)सामुदायिक तालाबों का निर्माणः–

व्यक्तिगत तौर की अपेक्षा सामुदायिक तौर पर स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से इस योजना की रूपरेखा तैयार की गई है ताकि अधिक से अधिक मत्स्य कृषकों को मत्स्य गतिविधियों से जोड़ा जा सके तथा आर्थिक एवं सामाजिक तौर पर पिछड़े वर्ग के लोगों को एक मंच पर सामूहिक कार्य हेतू प्रेरित किया जा सके । यह योजना प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जीर्ण–शीर्ण अवस्था में पडे तालाबों के पुर्ननिर्माण/मुरम्मत तथा सरकारी भूमि पर नये तालाबों के निर्माण के लिए आरम्भ की गई है । अनुसूचित जाति बाहुल्य गावों में इस प्रकार के तालाबों का निर्माण करवाकर उसी क्षेत्र के अनुसूचित जाति के व्यक्ति को मत्स्य पालन हेतू पट्टे पर दिया जाता है ।

क0सं0	योजना का नाम	वर्ष 2012–13 के लिए बजट प्रावधान	वर्ष 2012–13 में व्यय
1.	सामुदायिक तालाब का निर्माण	52.63 लाख	50.00 लाख

(ii) विज्ञापन एवं प्रचारः-

मत्स्य पालन का कार्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों द्वारा किया जाता है, जिसमें अधिकतर अनुसूचित जाति के लोग होते हैं जोकि विभागीय योजनाओं से अधिक जागरूक नहीं होते, उन तक विभागीय योजनाओं को पहुँचाने हेतु विभाग प्रयासरत है । वर्ष 2012-13 में इस मद में बजट प्रावधान नहीं था ।

(iii) अन्य प्रभार :-

अनुसूचित जातिय बाहुल्य गावों में मत्स्य पालन हेतु अनुसूचित जाति के व्यक्तियों में मत्स्यपालन हेतु जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से एक दिवसीय जागरूकता/ प्रशिक्षण शिवरों का आयोजन किया जाता है वर्ष 2012-13 में इस मद में 2.0 लाख रूपये बजट आबंटित था जिसे शत-प्रतिशत व्यय करके 1056 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को जागरूक किया गया ।

(छ) जनजातिय क्षेत्र उप योजनाः

हिमाचल प्रदेश के जन जातिय क्षेत्र में 1. किन्नौर 2. लाहुल स्पिति 3. चम्बा जिले के भरमौर व पाँगी क्षेत्र शामिल हैं । यह क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के पूर्ण क्षेत्रफल का 42.4 प्रतिशत है। जन जातिय क्षेत्र में सतलुज, रावी, व्यास और चिनाव के उपरी भाग आते हैं । जिनमें ट्राउट पालन की सम्भावनाएँ विद्यमान हैं । इन क्षेत्रों में अधिक उँचाई पर स्थित झीलें जैसे चंद्रताल (4000 मीटर), माने (4300 मीटर), नाको (4100 मीटर) किरगौर (3500 मीटर) इत्यादि हैं । यह झीलें ट्राउट पालन के लिए विकसित की जा रही हैं । जन जातिय क्षेत्र में 5 एकीकृत जनजातिय परियोजनाओं में से केवल एकीकृत जनजातिय विकास परियोजना किन्नौर तथा लाहुल व स्पिति के लिए ही तीन मत्स्य अधिकारियों के पद स्वीकृत हैं परन्तु किन्नौर के अतिरिक्त अन्य दोनों स्थानों पर पद रिक्त चल रहे हैं। एकीकृत जन जातिय विकास परियोजना भरमौर में मत्स्य अधिकारी नियुक्त नहीं हैं। पांगी क्षेत्र में भी मात्स्यिकी विभाग का कोई भी कर्मचारी तैनात नहीं है । जन जातिय क्षेत्र में मत्स्य विकास को तकनीकी कर्मचारियों की कमी की वजह से वांछित गतिशीलता प्राप्त नहीं हो सकी है । इस योजना के अन्तर्गत चम्बा जिला के होली में ट्राउट फार्म स्थापित किया गया है । इस लिए विभाग हर वर्ष अपनी वार्षिक योजनाओं में प्रावधान रखता है परन्तु इन प्रस्तावों को अभी तक सरकार की स्वीकृति नहीं मिली है ।

कमांक	योजना का नाम	स्वीकृत संशोधित बजट	वर्ष 2011-12 में व्यय
1.	जनजातिय उप योजना	15.29 लाख	15.29 लाख

इस वर्ष के दौरान ट्राउट बीज फार्म सांगला के उचित प्रबन्ध पर विशेष ध्यान दिया गया ताकि यह फार्म वास्पा एवं किन्नौर जिला की अन्य छोटी नदियों की ट्राउट बीज की आवश्यकता को पूरा कर सके । सांगला फार्म के जलक्षेत्र में विस्तार का कार्य जारी रहा । चम्बा जिला के जनजातिय क्षेत्र के जलों में ट्राउट बीज की मांग को पूरा करने के लिए भरमौर क्षेत्र के होली स्थान पर एक ट्राउट बीज फार्म की स्थापना की गई है । इस वर्ष इस स्कीम में केन्द्र सरकार से विशेष सहायता के रूप में स्वीकृत क्रमशः जिला चम्बा के चम्बा और भटियात क्षेत्र में 1.00लाख, गैर जन जातिय क्षेत्रों में रह रहे जनजातियों से सम्बन्धित इच्छुक मत्स्य पालकों के लिए मु0 1.60 लाख रूपये ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों तथा रेसवेज़ के निर्माण हेतू सहायता अनुदान के रूप में वितरित किये गये जिसके परिणामस्वरूप 52 मत्स्य किसानों को 2.60 लाख रू0 की अनुदान सहायता से लाभान्वित करवाया गया ।

(ज) मात्स्यिकी में आंकड़ों के आधार को सुदृढ़ करना तथा सूचना प्रोद्यौगिकी को बढ़ावा देना:

दसवीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2002-03 में **'मात्स्यिकी में आकड़ों के आधार को सुदृढ करना तथा सूचना प्रोद्यौगिकी को बढ़ावा देना'** नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना का शुभारम्भ हुआ । हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में इस योजना को शुरू करने हेतू विभाग को सितम्बर, 2003 में स्वीकृति प्रदान की है । विभिन्न श्रेणियों के चार पदों को सृजित करके उन्हें भरे जाने की औपचारिकताएं मार्च, 2004 को पूर्ण हो पाई जिसके साथ ही राज्य में यह योजना प्रारम्भ हो गई । इस योजना का मुख्य उद्देश्य मत्स्य से सम्बन्धित मात्रात्मक एवं गुणात्मक सूचनाओं को वैज्ञानिक आधार पर आधारित तकनीक द्वारा एकत्रित करना तथा किसी क्षेत्र में उपलब्ध जल संसाधनों के दोहन की क्षमताओं का आंकलन करना है । इस योजना द्वारा मात्स्यिकी के कार्य में जुड़े लोगों के आर्थिक स्तर का भी विश्लेषण किया जाना है तथा दसवीं पंचवर्षीय योजना मे सूचना प्रोद्यौगिकी को मात्स्यिकी के कार्यक्षेत्र में बढ़ावा देकर इस कार्यक्षेत्र में तीव्रता लाना भी एक नया उद्देश्य जुड़ गया है । वर्ष 2012-13 में इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय अन्तर्देशीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा तैयार सोफ्ट वेयर द्वारा संकलन (Compilation) करने का कार्य इस वर्ष जारी रहा ।

(ण) मत्स्य अनुसंधान 'हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय':

मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय को वर्ष 1981-82 से अनुदान प्रदान कर रहा है । इस विश्वविद्यालय को प्रदेश के विविध जलवायु के अनुरूप मत्स्य पालन हेतू तकनीक विकसित कर मछली रोगों की रोकथाम पर अनुसंधान का दायित्व दिया गया है, अनुसंधान कार्य एक लम्बी प्रक्रिया है । अतः अनुदान प्रणाली आगामी वर्षों में भी जारी रखी जाएगी । इस वर्ष 2 लाख रुपये के प्रावधान से पूर्ण राशि विश्वविद्यालय को मार्च, 2013 तक अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाई जा चुकी है ।

क्रमांक	योजना का नाम	स्वीकृत बजट	वर्ष 2012-13 में व्यय
1.	मात्स्यिकी में आंकड़ो के आधार को सुदृढ़ करना तथा सूचना प्रोद्यौगिकी को बढ़ावा देना 1	14.10 लाख	14.10 लाख

९. विभाग द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाएँः

(क) माहीगीर समूह दुधर्टना बीमा योजना :

प्रदेश के मछुओं की मछली का शिकार करते समय दुर्घटना में मृत्यु हो जाने या अपंग हो जाने पर क्रमशः उनके आश्रितों या उनके अपने जीवनयापन के लिए इस केन्द्रीय प्रायोजित योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा यह योजना जलाशयों में गिल जाल तथा नदियों में फेंकवा जाल से मत्स्य ग्रहण करने वाले समस्त माहीगीरों के लिए लागू की गई है । इस योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले प्रीमियम को केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 50:50 के अनुपात में अदा करने का प्रावधान है । इसलिए माहीगीर को प्रीमियम के रूप में कोई भी राशि अदा नहीं करनी है । बीमित माहीगीर की मृत्यु की दशा में उसके आश्रितों को 50,000/- रू0 तथा अपंगता की दशा में उसे 25,000 रू0 प्रदान किये जाने का प्रावधान था किन्तु विभाग के अथक प्रयासों के कारण वर्ष 2009-10 में इस राशि को बढ़ा कर क्रमशः 1,00,000/-रू0 व 50,000/-रू0कर दिया गया है । वर्ष 2011-12 के दौरान इस योजना के कार्यान्वन में 8345 मछुओं की बीमा सुरक्षा पर मु0 1,21,003/-रू0 का राज्य भाग तथा इतनी ही राशि केन्द्र भाग के रूप में व्यय की गई।

(ख) मछुआरा जोखिम निधि योजनाः

मछुआरों को मछली आखेट करते समय कई बार प्राकृतिक आपदाओं के कारण अपने जालों, किश्तियों और तम्बुओं से हाथ धोना पड़ता है । मछुआरों को उक्त आपदाओं के कारण हुए नुकसान की एक सीमा तक भरपाई किये जाने के लिए **“मछुआरा जोखिम निधि”** की स्थापना की गई है । प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त संयत्रों की मुरम्मत हेतू इन संयत्रों के कुल मूल्य का 33 प्रतिशत भाग इस जोखिम निधि से आर्थिक सहायता के रूप में अदा किया जाता है । इस निधि में वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में प्रत्येक सदस्य मछुआरा अनुज्ञप्ति पत्र प्राप्त करते समय छः रुपये जमा करवाएगा और इस प्रकार से जमा कुल राशि के बराबर की राशि प्रदेश सरकार द्वारा जमा करवाने का प्रावधान है । इस वर्ष जलाशयों के माहिगिरों द्वारा 20/–रू0 की दर से इस कोष में कुल 90,120/–रू0 का अंशदान एकत्रित किया गया ।

(ग) जलाशय के मछुआरों के लिए अशंदायी बन्द सीज़न राहत योजना

प्रदेश के समस्त जलों में मछली को प्राकृतिक सम्वर्न्धन द्वारा वशंवृद्धि करने के लिए राज्य में प्रति वर्ष 01 जून से 31 जुलाई तक की अवधि को वर्जित काल के रूप में रखा गया है तथा इसमें मछली पकडने पर पूर्ण प्रतिवन्ध लगाया गया है । यह वर्जित काल राज्य के सभी सार्वजनिक जलों में लागू है । इसलिए राज्य के जलाशयों में कार्यरत पूर्णकालिक मछुआरे इस बन्द मौसम के समय में बेरोजगार हो जाते हैं । जलाशय के इन मछुआरों को बन्द मौसम की इस 2 मास की अवधि में आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत इस अंशदायी आर्थिक सहायता स्कीम की स्थापना की गई है। इस स्कीम में वित्तीय संसाधनों के रूप में जलाश्यों में कार्यरत और स्कीम में सम्मिलित प्रत्येक मछुआरा प्रत्येक वर्ष अगस्त से मई 10 महीनों तक अपनी मत्स्य सहकारी सभा के माध्यम से 400 रू0 प्रतिमाह अपना अशंदान इस कोष में जमा करवाता है । इस प्रकार से जमा कुल 1200 रू0 में केन्द्रीय सरकार 400 रू0 प्रति माहीगीर और प्रदेश सरकार 400 रू0 अपना अंशदान जमा करते हैं । इस प्रकार से एकत्रित कुल अशंदान 1200 रू0 प्रति माहीगीर को दो माह के मछली पकड़ने के बंद मौसम में क्रमशः 600-600 रू0 वितरित किये जाते हैं । इस स्कीम में केवल वही माहीगीर लाभान्वित किये जाते हैं जो किसी प्रकार के अवैध मत्स्य आखेट में संलिप्त नहीं होते हैं । इस वर्ष के बंद मौसम में जलाशयों के 2431 माहीगीरों को इस स्कीम के अर्न्तगत आर्थिक सहायता के रुप में 19.45 लाख रूपये वितरित किए गए ।

(घ) राष्ट्रीय कृषि विकास योजनाः

वर्ष 2012–13 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित उपलब्धियाँ रहीं :–

- मत्स्य फार्म, देवली (बिलासपुर) के विस्तार हेतु एक करोड़ रूपए स्वीकृत किए गए ।
- 14 सामुदायिक तालाबों के निर्माण हेतु 42.00 लाख रूपये व्यय किए गए।
- 10 ट्राउट इकाईयों के निर्माण हेतु 9,84,000/–रूपये व्यय किये गये जिसमें 5 ईकाईयाँ किन्नौर, 03 भरमौर एवम् 02 स्पिती में निर्मित करवाई गई ।
- NMPS योजना के अन्तर्गत मत्स्य फार्म, दयोली (ऊना) के विस्तार एवं आधुनिकीकरण हेतु 668.0 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है ।
- 31.00 लाख रूपये मत्स्य फार्म, दयोली (ऊना) में नए तालाबों के निर्माण हेतु स्वीकृत किए गए हैं।
- Aquaculture Development through Integrated Approach नामक नई योजना के अन्तर्गत 2.50 लाख रूपये स्वीकृत हुए हैं।
- विभाग के सभी मत्स्य फार्मो में प्रयोग होने वाले अभिकरणों को खरीदने हेतु 16.34 लाख रूपये व्यय किए गये ।

10
प्रशासनिक एवं आर्थिक सुधार

- मत्स्य विभाग में ई–समाधान प्रणाली को आरम्भ करने के उपरान्त वर्ष में ई–समाधान के अन्तर्गत जो शिकायतें प्राप्त हुई उन सभी का निपटारा कर दिया गया है ।

- कार्यालय प्रणाली में सुधार लाने की दृष्टि से विभाग में ई–सर्विस प्रणाली भी आरम्भ कर दी गई है व इस कार्य को शत्–प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है।

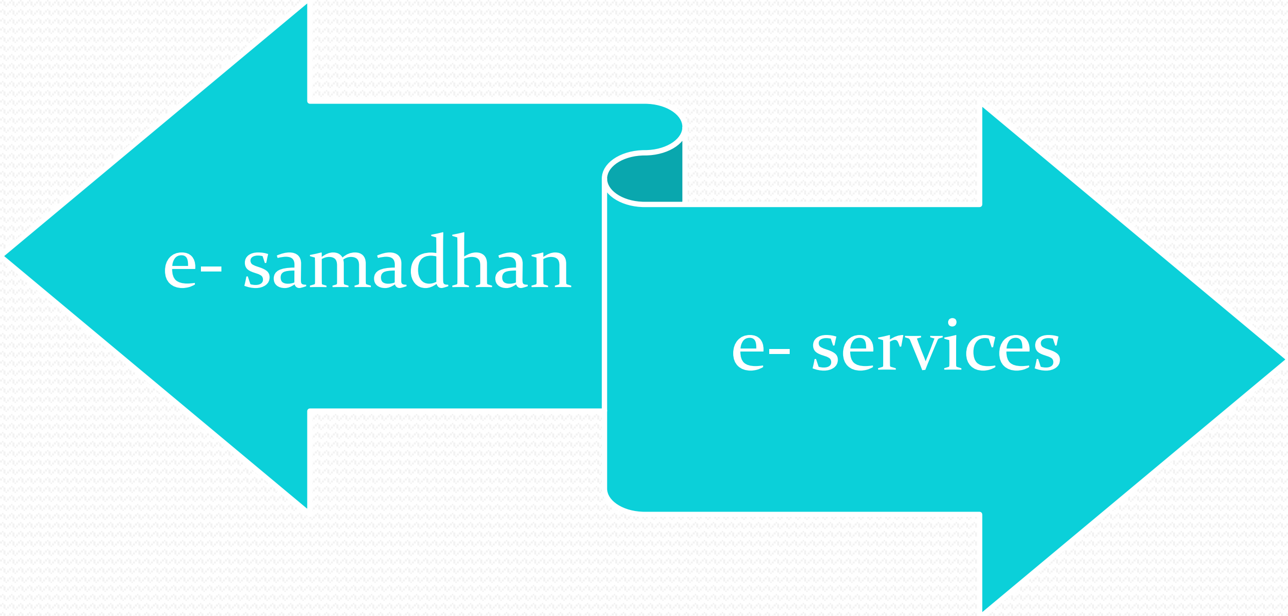

11. 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012–17 तथा वर्ष 2013–14 के वित्तीय प्रावधान एवं निर्धारित लक्ष्यः

क्रमाँक	योजना का नाम	12वीं पंचवर्षीय योजना को वित्तीय प्रावधान (राशी लाखों में)	वार्षिक योजना 2013–14 को वित्तीय प्रावधान (राशी लाखों में)
1.	निदेशन एवं प्रशासन	194.22	57.30
2.	जलाशय मात्स्यिकी का विकास एवं प्रबन्ध		--
	(a) जलाश्य संरक्षण	115.90	2-00
	(b) मत्स्य बीज उत्पादन	251.57	61.83
3.	क्रीड़ा मात्स्यिकी का विकास एवं रख रखाव (ट्राऊट बीज फार्म)	347.30	61.07
4.	कार्प बीज फार्मों का विकास एवं रख–रखाव	124.31	16.60
5.	प्रशिक्षण एवं विस्तार	9.30	1.70
6.	ताजे जल में मत्स्य पालन को बढ़ावा देना		--
	मत्स्य कृषक विकास अभिकरण कार्यक्रम	74	15
7.	800- अन्य व्यय		
	(a) मछुआरों का रिस्क फण्ड	13.50	2.50
	(b) मछुआरों का कल्याण	85.50	15.00
	(c) मछुआरा दुर्घटना बीमा योजना	9.50	2
8.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	1014.90	265.00
	योगः–	2240.00	**500.00**
7.	अनुसूचित जाति उप योजना	200	112.00
9.	जनजातिय उप योजना	193	49.00
	कुल योग :–	**2633.00**	**661.00**

2. निर्धारित लक्ष्य

क0 सं0	मद	इकाई	12 वीं योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य	वार्षिक योजना 2013-14 के लिए निर्धारित लक्ष्य
1.	मत्स्य उत्पादन	मीट्रिक टन	37,605.00	8080.00
2.	कार्प बीज उत्पादन	लाखों में	1220.00	220.00
3.	ट्राऊट ओवा उत्पादन	लाखों में	59.00	10.00

12. GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF FISHERIES INFORMATION UNDER RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005 SECTION 4(1)(B):

(i) Particulars of organization, functions and duties of the department:

Functions :

- ✓ To increase fish Production in the State by judicious management of all the culturable water resources.
- ✓ Management and Development of reservoir fishery in the State.
- ✓ To undertake breeding programme of Indian and Exotic fish species for augmenting the seed stocking programme in reservoirs, river, streams and tributaries.
- ✓ Implementaion of HP Fisheries Act and Rules there under.
- ✓ To promote commercial Rainbow Trout farming in the high altitude areas.
- ✓ To promote aquaculture in the State by providing technical and financial assistance to the fishermen and rural youths.
- ✓ To generate employment opportunities by the fisheries activities and ameliorating the condition of fishermen of the State.

1. **Duties**:

The Formulation of schemes/modelatives for all the function of the department as mentioned above and implementation of HP Fisheries Act 1976 and Rules 1979

(ii) Powers and duties of its officers and employees of the department.

Powers of Officers:

Powers and duties of officers have been illustrated in HPFR Vol. I & II. The functions and duties of other employees have been discussed in H.P.Govt. Office Manual with time-to-time amendments issued by the Govt. of Himachal Pradesh. In pursuance of Finance Department letter No. Fin-1-C(14)1/83, Dated 6th September 1995, Financial Powers have been re-delegated to all Drawing and Disbursing Officers in the Fisheries Department Himachal Pradesh as under:-

Sr. No.	Nature of Powers	Authority to which the power delegated	Extent of Power
		1. OFFICE EXPENSES	
1.	Maintenance of office machines & equipments	All Deputy Director of Fisheries. All Asstt. Director of Fisheries.	Upto Rs. 2000/- per item at time. Upto Rs. 1000/- per item at a time.
2.	Purchase of office machines & equipments	All DDFs/ ADFs	All purchase of individual items upto Rs. 2000/- limited to Rs. 20,000/- per year.
3.	Purchase of Charcoal	All DDFs/ ADFs	Full powers for the prescribed winter seasons and at the rate approved by the controller of stores in HP.
4.	Electricity, Water Charges & Telegrams	All DDFs/ ADFs	Full powers.
5.	Telephone	All DDFs/ ADFs	Upto 5,000/-
6.	Purchase of Technical books	All DDFs/ ADFs	Upto 500/-
7.	Purchase of Non-technical books i.e. Service matter books	All DDFs/ ADFs	Full powers provided expenditure on any one book does not exceeds to Rs. 500/-
8.	Periodicals/ Journals	All DDFs/ ADFs	Subscription for periodical/ journals limited to 1000/- per annum
9.	Petty purchases of local stationery	All DDFs/ ADFs	Upto Rs. 300/- for each purchase only in emergent cases limited to Rs. 2000/- per annum.

2. MOTOR VEHICLE			
1.	For repair/ spare parts & consumable access	All DDFs/ ADFs	Upto Rs. 3000/- at a time limited to Rs. 20,000/- per annum.
2.	For P.O.L.	All DDFs/ ADFs	Full powers subject to further instructions of HP Govt. from time to time.

3. MATERIAL & SUPPLY			
1.	Purchase of Fish Feed, Fishing equipments and other equipments	All DDFs/ ADFs	1. Full powers on the rates approved by the departmental standing committee. 2. Fish feed purchase in emergent cases in the absence of finalization of rates by the central purchase committee Rs. 1000/- at a time limited upto 3,000/- per annum after observing all codal formalities.
		DDF, Patlikuhl	Full powers for purchase of fish feed, fishing equipments, wetfeed and medicines in emergent cases.

4. FISH MANAGEMENT			
1.	Purchase of lime/ manure/ synthetic and pituitary Harmones and other petty expenses	All DDFs/ ADFs	Upto Rs. 2000/- at a time limited to Rs. 5000/- per annum for each farm.

5. MAINTENANCE			
1.	Maintenance of Farms & repair of water supply lines.	DDF Patlikuhl	Upto Rs. 2500/- at a time limited to Rs. 10000/- per annum.
		All DDFs/ ADFs	Upto Rs. 2500/- limited to Rs. 5000/- per annum.

6. HOSPITALITY & ENTERTAINMENT			
1.	Refreshment at official meetings as per norms fixed under rules	DDF(Hqrs.) DDF, Patlikuhl All ADFs	Rs. 2000/- per annum. Rs. 1000/- per annum. Rs. 500/- per annum.
7. MACHINERY & EQUIPMENT			
1.	For urgent repair of feed mill & Cold Store assembly.	DDF, Patlikuhl	Rs. 3000/- at a time.

Note:- All the above delegated financial powers are subject to budget provisions/ availability.

DUTIES OF THE OFFICERS & EMPLOYEES

Director-cum-Warden of Fisheries, Himachal Pradesh.

- Head of the Department.
- To formulate various schemes for Development and Management of Inland Fisheries, Reservoir Fisheries and Cold Water Aquaculture in the State.
- To coordinate with the Union Ministry, Govt. of HP and other Departments for formulation & implementation of the various welfare schemes for fishermen, assistance to fish farmers, special schemes for SC & ST, providing employments and developing schemes in Tribal areas.
- Implementation of Central Sponsored Schemes in the State.
- To hold meeting with the controlling officers of the Department for proper implementation of schemes.
- Allocation of budget and targets.
- Inspection of ongoing/ new works/ schemes/ projects.
- First appellant Authority of Fisheries Department under RTI act.

Deputy Director of Fisheries:

- Assist the Director-cum-Warden of Fisheries in framing various plans and schemes.
- Execute the plans & schemes earmarked by the Director of Fisheries.
- Budget control of various Fisheries schemes under him.
- D.D.O. of staff working under him.
- Technical / Administrative control of area under his jurisdiction and on the work of staff under his control.
- To attend review meetings.
- Under RTI act designated as Public Information Officer under their juridiction.

Assistant Director of Fisheries:

- Technical / Administrative control of area under his jurisdiction and on the work of staff under his control.
- Execute the plans & schemes earmarked by the Dircctor of Fisheries.
- Budget control of various Fisheries schemes under him.
- D.D.O. of staff working under him.
- To attend review meetings.
- Assessment of impact of Hydel Power Projects envisaged in their areas and furnish the survey report.
- Quality fish seed supplies & technical assistance to the fish farmers.
- Implementation of the HP Fisheries Act 1976 and Rules 1979.
- Issuing license to the fishermen.
- Under RTI act designated as Public Information Officer under their jurisdiction.

Senior Fisheries Officer:

- To look after breeding, feeding, brood stock management in farms under their control.
- Distribution of fish seed to the fish farmers on demand against payment.
- To process various schemes under component plan.
- Process FFDA’s cases and subsidy cases of fish farmers.
- To assist the Asstt. Director of Fisheries in the implementation of various schemes and plans.
- To issue licenses for fishing by the fishermen in the rivers under his jurisdiction.
- To compound illegal fishing cases.
- Imparting training and facilitation of technical assistance to the fish farmers.
- Under RTI act designated as Assistant Public Information Officer under their jurisdiction.

Fisheries Officer:

- To look after breeding, feeding, brood stock management at farms under their control.
- Distribution of fish seed to the fish farmers on demand against payment.
- Management & Development of Inland Fisheries, Reservoir Fisheries and Cold Water Aquaculture.
- Process FFDA’s & subsidy cases of fish farmers.
- To assist the Asstt. Director of Fisheries in the implementation of various schemes and plans.
- To issue licenses for fishing by the fishermen in the rivers in his jurisdiction.
- To compound illegal fishing cases.
- Imparting training & technical assistance to the fish farmers.
- Under RTI act designated as Assistant Public Information Officer under their jurisdiction.

Sub Inspector Fisheries:

- Recording of fish landings at their respective lending centers.
- Implementing Fisheries Act and Rules.
- Assist Fisheries Officers/ Sr. Fisheries Officer in the Management of Fish farms/ hatcheries.

Field Assistants/ Fishermen:

- Conservation of riverine and reservoir fisheries.
- To check illegal fishing and illegal sale of fish.
- Extension workers of department for aquaculture schemes.
- Maintenance of Fish Farms, water supplies, feeding practices, sale of fish, cleaning of tanks/ raceways ponds and allied works.

Farm Assistant:

- In charge of live stock at fish farm
- Help in feeding & breeding of fish.
- Packing of fish seed etc.
- Supervise the work of Fishermen/ Field Assistants posted at farms.

Feed Mill Mechanic:

- Operation of departmental feed mill, meant for manufacture of feed for trout fish.
- Minor repair of mill.

Pump Operator-cum-Helper:

- Operation of water pumps to maintain water supply to the farm.
- Help the mechanic in operation of farm machinery.

Superintendent Grade-I:

- To supervise all the works relating to administrative section.
- Deputing all Class-III & IV on duties including Driver and checking up their day-to-day functions.
- To ensure that all the dealing hands and diarist are maintaining all required registers and keep the same updated.
- To keep careful watch on the movement of dak and files between section and higher authorities.
- To ensure timely submission of time bound cases/ court cases.
- To ensure that all manuals, rules instructions, guard file and precedent registers of the sections are kept upto date.

Superintendent Grade-II:

- To intiate and supervise the works relating to the concerned branch (es). He shall ensure the timely pursuance of pending matters.
- To ensure timely submission of time bound/court cases.
- To ensure that all manuals, rules instructions, guard file and precedent registers of the section are kept upto date.

Personal Assistant:

- Maintaining the day-to-day meeting index of the Director-cum-Warden of Fisheries.
- To attend the telephone calls of the Director.
- Dictation given by the Director.
- Other duties assigned by the officer Incharge.

Senior Assistant:

- Opening and maintenance of files referencing, deal the cases including noting and drafting recording of files, maintenance and updating of various types of data and maintenance of various registers of their respective branch.
- Establishment matters including recruitment and promotion rules, maintenance of service book, service record preparation of leave account, pension papers, disciplinary matters and personal files etc.
- Fixation of Pay of all categories, including technical staff, posting, transfer, finalization of seniority and cases of ACP, Court cases and other miscellaneous matters.

Senior Scale Stenographer/ Steno typist:

- Dictation and typing work given by the officer.
- Other typing work of the department.
- Other duties assigned by the officer Incharge.

<u>Jr. Assistant/ Clerk</u>:

- All typing work assigned to them.
- Assist the Sr. Assistant in preparing information/ report and maintenance of record registers.
- Other duties assigned by the officer Incharge.

<u>Peon:</u>

- Handling files between different branches of the offices.
- Deliver local official letter to other offices.
- Perform other duties assigned by the officer Incharge.

(iii) The procedure followed in the decision making process, including channels of supervision and accountability

The schemes executed by the department are provided in the annual schedule of expenditure of the State Govt. All the proposals are funded under different programmes, after obtaining the consent and concurrence of the Govt. The implementation part is as follows: -

1. <u>Aquaculture Scheme</u>:

The schemes are elaborated in all Panchayati Raj Institution (PRI) meetings, State & District level fairs through exibitions and field staff. The Fisheries field assistants help to process the cases after that the site is surveyed /approved by the concerned Fisheries officers/Senior Fisheries Officer/Assistant Director of Fisheries after verifying the ownership of the land. Estimates are prepared by Junior Engineer. The financial assistance is released as per the progress of work and provisions in the scheme.

The construction portion is finally checked by the J.E of the Department/PWD/Block and final payment is released after the completion of the work as per estimate.

Junior Engineer issuing completion certificate, alongwith Assistant Director of Fisheries/Senior Fisheries officer/Fisheries officer of the area are responsible for any type of lapse in the work.

2. <u>Fishermen Welfare Schemes</u>:

The identification of the fishermen in Reservoirs is done at the Fishermen co-op society level, after the recommendation of society and fisheries officer landing center of the area. The application alongwith recommendations are submitted to Assistant Director of Fisheries of the concerned reservoir. The rates /firm of gill nets cast nets & Twine etc. are approved by central purchase committee at the Directorate level by inviting tenders through National Newspapers. The supply order as per demand from Fishermen is given by the concerned Assistant Director of Fisheries to the supplier and material received is checked by Assistant Director of Fisheries and then it is distributed to the concerned Fishermen through Fisheries officer.

3. Simillarly the Fish carts and all other welfare schemes are being implemented as per provision under the scheme.

4. All concerned in the implementation of the welfare schemes are accountable for any lapse.

(iv) Norms set by the department for the discharge of its functions:

The norms as set out in the guidelines of various programmes being implemented by the Department are followed in discharge of the functions of the Department.

- The Directorate allocates target and budget to all the controlling officers under different schemes and plans. The achievement is judged by reviewing the progress in terms of budget utilization, fish production, seed production, revenue, and employment generation target.
- The Farm Incharge (Fisheries Officer/Sr. Fisheries officer) are responsible to achieve the production targets of fish seed fixed for the farms. The seed is stocked in the reservoirs and sold to the private fish farmers of the State at the rate fixed by the Government. These farm incharges are also required to achieve the annual targets of fish production i.e. carp as well as Trout Production.
- Simillarly Assistant Director's of Fisheries Incharge of Reservoirs are provided target of fish production keeping in view the consolidated targets of fish production of State.
- Besides fish production targets every District-head is responsible for the achievement of employment generation targets fixed for the year, keeping in view the budget provisions under various welfare schemes.

(v) The rules, regulations, instructions, mannuals and record held by it or under its control or used by its employees for discharging its functions:

The following Rules and Regulations are used by the Department employees for discharging their functions:-

- HP Fisheries Act 1976 and Rule 1979.
- CCS Leave Rules.
- CCS and CCA Rules.
- HP FR Rules & Treasury Rules.
- HP FR & SR Rules.
- Medical attendance Rules.
- General Finance Rules.
- HB Advance Rules.
- Delegation of Financial Power Rules.
- Leave Travel Concession Rules.
- Budget Manual
- Office Manual
- Vehicle Rules.
- Pension Rules.
- G.P.F. Rules.

(vi) Statement of the categories of documents that are held by the department or under its control:

The statement of various categories of documents applicable in functioning of Department of Fisheries, Himachal Pradesh and lying under its control are as follow:-

ACCOUNTS:

- Monthly accounts.
- Expenditure returns.
- Cash Book.
- Receipt Book.
- Cheque Book.
- Budget file.
- CAG Reports.
- Audit Report

ESTABLISHMENT:

- Diary Dispatch registers.
- Casual leave account register.
- Attendance regzisters.
- Service Book of staff.
- Staff Inventory Returns.

MISCELLANEOUS:

- Booklet of Annual Budget allocated by the Govt. under different plans & schemes.
- List of capital works under execution in the department.
- Statement of different welfare schemes for the fishermen and fish farmers under implementation in the deptt.
- H.P. Fisheries Act & Rules.
- Annual Administrative report of the Department.
- Master register of files.
- Log book of vehicles.
- Stamp register.
- Reply to Assembly & Parliamentary question files.
- Vidhan Sabha Committee Reports.

The above documents, manual of orders, specification codes are readily available with the Directorate/ all the Deputy Director of Fisheries/ Asstt. Director of Fisheries offices.

(vii) Particulars of any arrangement that exists for consultation with or representation by, the members of the public in relation to the formulation of department policy or implementation thereof:

The website of the Department, www.himachal.nic.in/fisheries acts as an information tool for the general public and thus facilitates in the implementation of the policies/ guidelines issued by the department. State Level Planning Meeting with all MLAs under the Chairmanship of Hon'ble Chief Minister is held annually. The department also organizes conferences, workshops, and meetings where suggestions from the elected representatives and Non Governmental Organizations (NGOs) are taken care of for the implementation of programmes, District level 20 Point Programme Committee and Grievances Committee are also constituted by the Govt., that have membership of public representatives and quarterly meetings are held at district level

(Viii) Statement of the boards, councils, committees and other bodies consisting of two or more persons constituted as a part of the department for the purpose of its advice, and as to whether meeting of those boards, councils, committees and other bodies are open to the public, or the minutes of such meetings are accessible for public:

The following committees have been constituted:-

Apex Committees

a).Governing body of H.P. Fish Farmer Development Agencies .
b).Reservoir Development Committee.
c).NOC Committee for Hydropower Projects.

Directorate Level Committees

a).Store Purchase Committee.
b).Departmental Promotion Committee.
c).Risk Fund Committee.

District level committee:

a).Store Purchase Committee.

Meeting of the all above committees as well their minutes except Departmental Promotion Committee are accessible for public.

(ix) DIRECTORY OF OFFICERS AND EMPLOYEES:

Sr.No.	Name of Class/ Category	Sanctioned Strength	In position	Vacant
1.	Director-cum-Warden of Fisheries	1	0	1
2.	Deputy Director Fisheries	2	2	0
3	Assistant Engineer (Civil)	1	0	1
4	Superintendent – I	1	1	0
	Total	5	3	2
5	Assistant Director of Fisheries	11	08	3
6	Section Officer (SAS)	1	1	0
7	Superintendant Grade – II	4	4	0
8	Personal Assistant	1	1	0
	Total	17	14	3
8	Junior Engineer Civil	2	1	1
9	Senior Fisheries Officers	7	6	1
10	Fisheries Officers	31	20	11
11	Senior Assistant	9	8	1
12	Statistical Assistant	2	0	2
13	Senior Scale Stenographer	1	1	0
14	Sub-Inspector-Fisheries	15	6	9
15	Steno-typist	1	0	1
16	Junior Assistant/ Clerk	39	17	22
18	Farm Assistant	7	7	2
19	Driver	9	8	1
20	Motor Boat Driver	4	3	1
21	Mechanic (Auto)	1	1	0
22	Man-cum-clerk	1	0	1
23	Feed Mill Mechanic	1	1	0
24	Pump Operator	1	1	0
	Total	131	79	52

25	Fisheries Field Assistant	143	111	32
26	Fishermen	48	31	17
27	Fieldman	3	0	3
28	Cleaner	1	0	1
29	Peon	22	19	3
30	Chowkidar	13	18	5
31	Chowkidar-cum-Sweeper	1	1	0
32	Sweeper	1	0	1
	Total	232	170	62
	G.Total	385	266	119

(x) <u>Monthly remuneration received by each of its officers and employees including the system of compensation as provided in its regulations</u>

Sr. No.	Name of Class/ Category	Pay scale as on 1.01.1996 (in Rs.)	Pay scale as on 1.01.2006 (in Rs.)	Pay band
		Class-I		
1.	Director-cum-Warden of Fisheries	14300-18600	37400-6700	8700
2.	Deputy Director Fisheries	7880-11660	10300-34800	5400
3	Assistant Engineer (Civil)	7880-11660	10300-34800	5400
4	Superintendent Grade-1	7220-11660	10300-34800	5000
		Class-II		
5	Assistant Director of Fisheries	7000- 10980	10300-34800	4400
6	Section Officer (SAS)	7000- 10980	10300-34800	4400
7.	Superintendant Grade –II	6400- 10640	10300-34800	4200
8	Personal Assistant	6400-10640	10300-34800	4200
		Class-III		
9	Junior Engineer Civil	5800-9200	10300-34800	3800
10	Senior Fisheries Officers	5800-9200	10300-34800	3800
11	Fisheries Officers	5480-8925	10300-34800	3600
12	Senior Assistant	5800-9200	10300-34800	3800

13	Statistical Assistant	5480-8925	10300-34800	3600
14	Senior Scale Stenographer	5800-9200	10300-34800	3800
15	Sub-Inspector-Fisheries	4020-6200	5910-20200	2400
16	Steno-typist	3330-6200	5910-20200	2000
17	Junior Assistant	4400-7000	5910-20200	2800
18	Clerk	3120-5160	5910-20200	1900
19	Farm Assistant	3120-5160	5910-20200	1900
20	Driver	3330-6200	5910-20200	2000
21	Motor Boat Driver	3120-5160	5910-20200	1900
22	Mechanic (Auto)	3120-5160	5910-20200	1900
23	Man-cum-clerk	3120-5160	5910-20200	1900
24	Feed Mill Mechanic	3120-5160	5910-20200	1900
25	Pump Operator	3120-5160	5910-20200	1900
		Class-IV		
26	Fisheries Field Assistant	2820-4400	4900-10680	1650
27	Fishermen	2720-4260	4900-10680	1400
28	Fieldman	2720-4260	4900-10680	1400
29	Cleaner	2620-4140	4900-10680	1300
30	Peon	2620-4140	4900-10680	1300
31	Chowkidar	2620-4140	4900-10680	1300
32	Chowkidar-cum-Sweeper	2620-4140	4900-10680	1300
33	Sweeper	2620-4140	4900-10680	1300

(Xi) **The budget allocated to each of its agency, indicating the particulars of all plans, proposed expenditure and reports on disbursement made:**
Budget allotted to each its offices, indicating the particulars of All Plans for the year 2010-11.

Deputy Dirctor of Fisheries (Hqrs.), Bilaspur, HP.

Sr.No.	Head of Account/ Name of Scheme	Sanctioned Budget (Rs. in Thousand)	Expenditure upto 31-03-2012
1.	2405-00-001-01(SOON)	60	56
2.	2405-00-101-02(SOON) Carp Seed Production	320	319
3.	2405-00-109-02(SOON)	25	25

4.	**2405-00-101-05(SOON)**	**1407**	**8.78**
5.	2405-00-109-03-S25N	2000	2000
6.	2405-00-800-01(SOON)	181	180
7.	2405-00-800-03(SOON)	121	121
8.	2405-00-101-06(SOONA)	91800	91800
9.	2405-00-105-03(C75N)	1448	1448
10.	2405-00-101-03 (SOON)	102	102
	Total	97464	96059.78

2. Deputy Director of Fisheries, Patlikuhl (Kullu).

Sr.No.	Head of Account/ Name of Scheme	Sanctioned Budget (Rs. in Thousand)	Expenditure upto 31-03-2012
1.	2405-00-101-03(SOON)	5303	5303
2.	2405-00-109-02(SOON)	15	15
	Total	5318	5318

3. Asstt. Director of Fisheries, Chamba.

Sr.No.	Head of Account/ Name of Scheme	Sanctioned Budget (Rs. in Thousand)	Expenditure upto 31-03-2012
1.	2405-00-001-01(SOON)	60	60
2.	2405-00-101-02(SOON) Carp Seed Production	205	204
3.	2405-00-101-03(SOON) Trout Seed Farm	101	101
4.	2405-00-101-04(SOON)	70	70
5.	2405-00-109-02(SOON)	10	10
6.	2045-00-800-02 S33N	54	54
7.	2405-00-101-06(SOONA)	252	252
8.	2045-00-800-02 C 33N	28	28
	Total	780	779

4. Asstt. Director of Fisheries, Bilaspur Division.

Sr.No.	Head of Account/ Name of Scheme	Sanctioned Budget (Rs. in Thousand)	Expenditure upto31-03-2012
1.	2405-00-001-01(SOON)	70	70
2.	2405-00-101-02(SOON) Conservation	120	120
3.	2405-00-101-02(SOON) Carp Seed Production	2175	2173
4.	2405-00-109-02(SOON)	15	15
5.	2405-00-101-04(SOON)	94	94
6.	2405-00-800-02(S 33 N)	804	804
7.	2405-00-101-06(SOONA)	251	251
8.	2405-00-800-02(C33N)	266	266
9.	2405-00-101-05 SOONA)	33	33
10.	2405-00-789-02 (SOONA)	125	125
11.	2405-00-789-03 (SOONA)	420	420
	Total	4373	4371

5. Asstt. Director of Fisheries, Pong Dam.

Sr.No.	Head of Account/ Name of Scheme	Sanctioned Budget (Rs. in Thousand)	Expenditure upto 31-03-2012
1.	2405-00-101-02(SOON) Conservation	100	100
2.	2405-00-101-02(SOON) Fish Seed Production	151	149
3.	2405-00-101-04(SOON)	105	105
4.	2405-00-109-02(SOON)	15	15
5.	2405-00-800-02-C33N	678	678
6.	2405-00-800-02-C33N	978	978
7.	2405-00-789-02(SOON)	420	420
8.	2405-00-789-04 S33N	32	32
9.	2405-00-789-04 C33N	130	130
	Total	2609	2607

6. **Asstt. Director of Fisheries, Palampur (Distt. Kangra & Hamirpur).**

Sr.No.	Head of Account/ Name of Scheme	Sanctioned Budget (Rs. in Thousand)	Expenditure upto 31-03-2012
1.	2405-00-001-01(SOON)	100	100
2.	2405-00-101-02(SOON) Carp Seed Production	370	370
3.	2405-00-109-02(SOON)	15	15
4.	2405-00-101-06(SOONA)	252	252
5.	2405-00-789-02(SOON)	125	125
6.	2405-00-789-03(SOON)	420	420
	Total	1282	1282

7. **Asstt. Director of Fisheries, Solan (for district Sirmour).**

Sr.No.	Head of Account/ Name of Scheme	Sanctioned Budget (Rs. in Thousand)	Expenditure upto 31-03-2012
1.	2405-00-101-01(SOON)	40	40
2.	2405-00-109-02(SOON)	10	10
3.	2405-00-789-02(SOON)	125	125
4.	2405-00-789-03(SOON)	420	420
	Total	595	595

8. **Asstt. Director of Fisheries, Shimla.**

Sr.No.	Head of Account/ Name of Scheme	Sanctioned Budget (Rs. in Thousand)	Expenditure upto 31-03-2012
1.	2405-00-001-01(SOON)	130	130
2.	2405-00-101-03(SOON) Trout Seed Farm	125	125
3.	2405-00-109-02(SOON)	10	10
4.	2405-00-789-02(SOON)	125	125
5.	2405-00-789-03(SOON)	420	420
	Total	810	810

9. Asstt. Director of Fisheries, Mandi.

Sr.No.	Head of Account/ Name of Scheme	Sanctioned Budget (Rs. in Thousand)	Expenditure upto 31-03-2012
1.	2405-00-001-01(SOON)	100	100
2.	2405-00-101-02(SOON) Fish Seed Production	295	295
3.	2405-00-101-03-(SOON) Trout Seed Farm	185	185
4.	2405-00-109-02(SOON)	15	15
5.	2405-00-101-06(SOONA)	384	384
6.	2405-00-789-02(SOON)	125	125
7.	2405-00-789-03(SOONA)	420	420
	Total	1524	1524

10. Asstt. Director of Fisheries, Una.

Sr.No.	Head of Account/ Name of Scheme	Sanctioned Budget (Rs. in Thousand)	Expenditure upto 31-03-2012
1.	2405-00-001-01-(SOON)	30	30
2.	2405-00-101-02(SOON)	45	45
3.	2405-00-109-02(SOON)	15	15
4.	2405-00-101-06(SOONA)	252	252
	Total	342	342

11. Asstt. Director of Fisheries, Solan.

Sr.No.	Head of Account/ Name of Scheme	Sanctioned Budget (Rs. in Thousand)	Expenditure upto 31-03-2012
1.	2405-00-001-01(SOON)	90	90
2.	2405-00-101-02(SOON)	48	48
3.	2405-00-109-02(SOON	10	10
4.	2405-00-101-06(SOON)	252	252
5.	2405-00-789-02(SOON)	125	125
6.	2405-00-789-03(SOONA)	420	420
	Total	945	945

12. Asstt. Director of Fisheries, Hamirpur.

Sr.No.	Head of Account/ Name of Scheme	Sanctioned Budget (Rs. in Thousand)	Expenditure upto 31-03-2012
1.	2405-00-001-01-(SOON)	10	10
2.	2405-00-101-02(SOON)	25	25
3.	2405-00-109-02(SOON)	5	5
4.	2405-00-789-02(SOON)	125	125
5.	2405-00-789-03(SOONA)	420	420
	Total	585	585

(Xii) Manner of execution of subsidy programmes, including the amounts allocated and the details of beneficiaries of such programmes:

The selection of beneficiary for advancement of subsidy is made by Sub Inspector Fisheries/Fisheries Officer/ Sr.Fisheries Officers and complete case forwarded to concerned Asstt. Director of Fisheries/ Dy.Director of Fisheries for sanction. The subsidy benefit is extended in kind within the limits, prescribed under the rules.

(Xiii) Particulars of recipients of concessions, permits or authorizations granted by it:

No specific concessions are granted by the department.

(xiv) Details in respect of the information available to or held by it, reduced in an electronic form:

- ❖ Information about the departmental schemes under implementation is also accessible at departmental website at http.// himachal.nic.in/fisheries.
- ❖ The website of the Department is being updated regularly.

(xv) Particulars of facilities available to citizens for obtaining information, including the working of a library or reading room, it maintained for public use:

Information relating to the Department is displayed on Departmental website i.e. **http.//himachal.nic.in/fisheries.** Any citizen from the same can obtain this information. The provision/ facility of library or reading room for obtaining information for the public is not available in the Department of Fisheries, Himachal Pradesh.

(xvi) The names, designation and other particulars of the public information officers:

Himachal Pradesh Fisheries Department

STATE LEVEL

Appellate authority.	Designation & Office Address	Jurisdiction (area/subject)	E- mail Address	Telephoe/ fax No.
First Appellate Authority	Director-cum-Warden of Fisheries Directorate of Fisheries, Bilaspur, HP	Entire State of Himachal Pradesh .	dirfisheries-bil-hp@nic.in	01978- 224068 (Off.) 223390 (Resi.) Mobile: 94184-53030

PIO/ APIO	Designation & Office Address	Jurisdiction (area/subject)	E- mail Address	Office Telephone No.
PIO	Deputy Director of Fisheries(Hq.)Directorate of Fisheries, Bilaspur, H.P.-174001	Entire State of Himachal Pradesh	ddfisheries-bil-hp@nic.in	01978-223212 (Off.)
PIO	Assistant Director of Fisheries (Hq.)	Entire State of Himachal Pradesh	adfisheries-bil-hp@nic.in	01978-223212 (Off.)
PIO	Assistant Director of Fisheries (20 Point)	Entire State of Himachal Pradesh		01978-223212 (Off.)
APIO	Superintendent Grade-II, Directorate of Fisheries, Bilaspur, HP-174001	Entire State of Himachal Pradesh		01978-223212 (Off.)

DISTRICT LEVEL

Sr No.	Designation & Office Address	Jurisdiction (area/subject)	E- mail Address	Office Telephone No.
BILASPUR DISTRICT				
PIO	Asstt. Director of Fisheries, Bilaspur Division, H.P.	District Bilaspur	-	01978-222568 (Off.)
APIO	Fisheries Officer Deoli (Ghagus)Bilaspur.	Fish Farm Deoli (Ghagus)	-	-
APIO	Fisheries Officer, Lathiani, District Una	Fish Landing Centre Lathiani	-	-
APIO	Fisheries Officer, Bakhra, District Bilaspur	Fish Landing Centre, Bakhara	-	-
APIO	Fisheries Officer Conservation, Bilaspur	Fish Landing Centre Bilaspur.	-	-
APIO	Sub Inspector of Fisheries, Mandli	Fish Landing Centre, Mandli	-	-
APIO	Fisheries Officer, Zagatkhana	Fish Landing Centre, Zagatkhana	-	-
MANDI DISTRICT				
	Asstt. Director of Fisheries, Mandi Division, H.P.	District Mandi	adfmandi@yahoo.co.in	01905-235141 (Off.)
APIO	Fisheries Officer, Fish farm Alsu,	Carp Fish Farm, Alsu, Distt. Mandi.	--	--
APIO	Fisheries Officer, Trout Farm Barot, Mandi.	Trout Farm Barot, Distt. Mandi	--	--
KULLU DISTRICT				
PIO	Dy. Director of Fisheries, Patlikuhl, Kullu, HP	District Kullu	--	01902-240163 (Off.)
APIO	Sr.Fisheries Officer, Patlikuhl, Distt. Kullu	Indo Trout Farming Project, Patlikuhl	--	01902-240163 (Off.)
APIO	Fisheries Officer, Batahar Hatchery, Distt. Kullu.	Batahar Hatchery, Distt. Kullu	--	--
APIO	Fisheries Officer, larji, Distt. Kullu.	Larji, Distt. Kullu	--	--

PONGDAM				
PIO	Asstt. Director of Fisheries, Pong Dam, Distt. Kangra.	Pong Reservoir	--	01893-288910 (Off.)
APIO	Fisheries Officer, Dhameta, Distt. Kangra.	Fish Landing Centre, Dhameta	--	--
APIO	Fisheries Officer, Dehra, Distt. Kangra.	Fish Landing Centre, Dehra	--	--
APIO	Fisheries Officer, Jawali, Distt. Kangra.	Fish Landing Centre, Jawali.	--	--
APIO	Fisheries Officer, Nagrota Surian, Distt. Kangra.	Fish Landing Centre, Nagrota Surian	--	--
APIO	Fisheries Officer, Barnali, Distt. Kangra.	Fish Landing Centre, Barnali	--	--
APIO	Fisheries Officer, Nandpur, Distt. Kangra.	Fish Landing Centre, Nandpur.	--	--
DISTRICT CHAMBA				
	Asstt. Director of Fisheries, Chamba at Sultanpur, Chamba	District Chamba	--	01899-223801 (Off.)
APIO	Sr. Fisheries Officer, Chamba at Sultanpur, Chamba	District Chamba	--	-do-
APIO	Fisheries Officer, Trout Fish Farm Holi	Trout Farm Holi	--	--
HAMIRPUR & KANGRA (Excluding Pong Dam)				
	Asstt. Director of Fisheries, Palampur, Distt. Kangra.	District Kangra (excluding Pong Reservoir) & Hamirpur	adfpalampur @yohoo.co.in	01894-231872 (Off.)
APIO	Senior Fisheries Officer , Hamirpur	District Hamirpur	--	--
APIO	Senior Fisheries Officer , Palampur	District Palampur	--	--
APIO	Sub-Inspector of Fisheries, Kangra	Fish Farm Kangra	--	--
DISTRICT KINNAUR & SHIMLA				
	Asstt. Director of Fisheries, Shimla-5	District Shimla & Kinnour	--	0177-2830171(Off.)
APIO	Senior Fisheries Officer, Shimla	District Shimla	--	--
APIO	Fisheries Officer , Dhamwari	Trout Farm, Dhamwari	--	--
APIO	Fisheries Officer, Sangla	Trout Farm, Sangla	--	--

DISTRICT SIRMOUR & SOLAN				
PIO	Asstt. Director of Fisheries, Solan at Shamti, Solan, HP	District Solan & Sirmour	--	01792-229454(Off.)
APIO	Sr. Fisheries Officer, Nahan, Distt. Sirmour.	District Nahan	--	--
APIO	Jr. Assistant, Asstt. Director of Fisheries, Solan	District Solan	--	01792-229454(Off.)
DISTRICT UNA				
PIO	Asstt. Director of Fisheries, Una, H.P.	District Una.	adfuna@yohoo.co.in	01975-227792 (Off.)
APIO	Jr. Assistant o/o Asstt. Director of Fisheries, Una.	District Una.	--	-do-
APIO	Sub-Inspector of Fisheries, o/o ADF Una, Distt. Una	District Una	--	-do-

13. DEPARTMENTAL OFFICERS/OFFICIALS WHO RETIRED IN 2012-13 :

Sr. No.	Name of officer/ official S/ Sh/ Smt.	Designation	Date of retirement.
1	2	3	4
1	B.D Sharma	Director-cum-Warden of Fisheries	30-04-2012
2	P. C Patial	Assistant Director of Fisheries	28-02-2013
3	Raj Kumar	Senior Fisheries Officer	30-11-2012
4	Prakash Chand	Fisheries Officer	30-09-2012
5	Kehar Singh	Senior Assistant	24-07-2012(F/N) VR
6	Suresh Goel	Sub-Inspector of Fisheries	30-06-2012
7	Dhian Chand	Sub-Inspector of Fisheries	31-12-2012
8	Liak Ram	Farm Assistant	31-05-2012
9	Sukh Dev	Clerk	30-09-2012
10	Raj Kumari	Clerk	30-09-2012
11	Pyar Singh	Driver	31-01-2013
12	Tilak Raj	Field Assistant	30-04-2012
13	Ranbeer Singh	Field Assitant	31-03-2013
14	Nek Ram	Field Assistant	30-04-2012
15	Surat Ram	Fisherman	31-03-2013
16	Daulat Ram	Fisherman	31-03-2013
17	Brij Lal	Peon	31-10-2012
18	Laxmi Devi	Peon	01-03-2013(F/N) VR

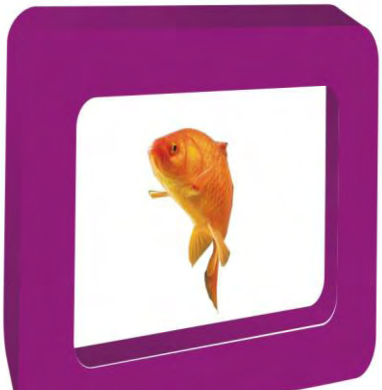

Visit us:
http://hpfisheries.nic.in/welcome.asp